भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3942
दिनांक 17 मार्च, 2026 / 26 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

†3942. श्री एम. के. राघवन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का राज्यों द्वारा पूर्णत: उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निधियों के आवंटन और उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निधियों को समय पर जारी करने और उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता (एएसयूएमपी)" [पूर्ववर्ती 'राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' योजना] योजना के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्योरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। व्यय विभाग (डीओई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों को जारी/संस्वीकृत निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि पर निर्भर करती है। कार्य योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन और निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए केंद्र सरकार नियमित रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ संपर्क करती रहती है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3942, दिनांक 17.03.2026

अनुलग्नक

तालिका संख्या: I वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित, जारी और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्योरा:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2025-26		
		आवंटित	जारी/संस्वीकृत	उपयोग की गई
1.	आंध्र प्रदेश	19.76	19.76****	9.8799916
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.45	1.725****	0
3.	असम	12.89	11.745****	5.3299819
4.	बिहार	30.39	15.195****	0.105007
5.	छत्तीसगढ़	12.17	6.085****	5.8703595
6.	गोवा	2.90	1.45****	0.0312000
7.	गुजरात	29.89	24.945****	9.3922236
8.	हरियाणा	13.25	6.625****	0.4487481
9.	हिमाचल प्रदेश	4.62	4.62****	2.0961007
10.	झारखंड	13.16	6.58****	0
11.	कर्नाटक	21.44	35.72****	10.7199999
12.	केरल	20.76	22.21****	0
13.	मध्य प्रदेश	28.17	14.085****	0.0000151
14.	महाराष्ट्र	40.69	0	0
15.	मणिपुर	4.35	32.175****	0
16.	मेघालय	3.45	1.725****	0.7426299
17.	मिजोरम	2.86	12.28****	1.282605
18.	नागालैंड	3.76	31.88****	0
19.	ओडिशा	15.47	13.735****	4.9995649
20.	पंजाब	12.35	12.35****	6.1735997
21.	राजस्थान	23.65	23.65****	10.871373
22.	सिक्किम	2.50	2.5****	1.1616051
23.	तमिलनाडु	49.51	50****	0
24.	तेलंगाना	15.92	25.92****	15.91788
25.	त्रिपुरा	4.17	2.085****	0.8092016
26.	उत्तर प्रदेश	63.70	31.85****	0
27.	उत्तराखंड	5.89	5.885****	0.9849555
28.	पश्चिम बंगाल	26.27	13.135****	0.0015900
	कुल	**487.39**	**429.915 (दिनांक 08.03.2026 की स्थिति के अनुसार)**	**86.8186321 (दिनांक 06.03.2026 की स्थिति के अनुसार)**

**** मूल संस्वीकृत

नोट

I. राज्यों को जारी की गई निधि आवंटन के मुकाबले भिन्न-भिन्न है। जहां जारी की गई निधि आवंटन से कम है, उसका कारण उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जमा न करना है, और जहां जारी की गई निधि आवंटन से अधिक है, उसका कारण पुलिस के बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए जारी की गई निधि है।

<u>लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3942, दिनांक 17.03.2026</u>

<u>अनुलग्नक</u>

<u>तालिका संख्या: II</u>: वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' योजना के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित, जारी और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्योरा।

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	**संघ राज्य क्षेत्र**	**2025-26**		
		आवंटन	**जारी/संस्वीकृत**	**उपयोग की गई**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.91	3.7475	0
2.	चंडीगढ़	1.04	0	0
3.	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0.68	0	0
4.	दिल्ली	12.03	0	0
5.	जम्मू और कश्मीर	7.46	14.39****	14.3886
6.	लद्दाख	0.68	0.68	0
7.	लक्षद्वीप	0.59	0	0
8.	पुडुचेरी	1.22	0.61****	0.0010000
	कुल	**24.61**	**19.4275 (दिनांक 24.02.2026 की स्थिति के अनुसार)**	**14.3896 (दिनांक 06.03.2026 की स्थिति के अनुसार)**

**** मूल संस्वीकृत
